

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 43/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एच डी एफ सी लिमिटेड, सी-25, भगवानदास रोड, सेंट जेवियर स्कूल के सामने सी-स्ट्रीट जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री राजबहादुर सिंह
2. श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री प्रदीप सिंह

पता :-प्लेट नम्बर एफ-1, प्लॉट नम्बर 66, चौधरी रोड, राम नगर, पत्रकार कॉलोनी, जयपुर।

एवं प्रथम तल, ब्लॉक बी, ग्रीन पार्क, असदपुरा कायम, गलेवसी पेट्रोल पम्प के पास, अलीगढ़
उत्तरप्रदेश।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act,2002.

उपस्थित :-

1. श्री विनोद कुमार चौहान अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 03.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री राजबहादुर सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नम्बर एफ-1, प्लॉट नम्बर 66, चौधरी रोड, राम नगर, पत्रकार कॉलोनी, जयपुर क्षेत्रफल 1200 वर्गफिट को बन्धक रख कर दिनांक 16.10.2017, 28.10.2017 एवं 21.11.2017 को क्रमशः 23,29,417/- रुपये, 1,02,112/- रुपये एवं 9,00,000/- रुपये कुल 33,31,529/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इनवाइड उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।



जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

